तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर ... जो इस ... में ...
11.6.19	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित पत्रावली मे पालना रिपोर्ट प्राप्त नहीं तहसीलदार बेगूं को पुनः पत्र लिखा जाकर पालना चाही जावे। पत्रावली वास्ते पालना हेतु दि 25.6.19 को पेश है।	
25.6.19	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित पत्रावली में पालना रिपोर्ट प्राप्त नहीं है पत्रावली दिनांक 23/7/19 को पालना में पेश हो।	
23/7/19	पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली मे फर्द बटवारा रिपोर्ट प्राप्त नही। पत्रावली अब पालना मे दिनांक 27/8/19 को पेश हो। पुनश्च :- इतना लिखने पर पत्रावली मे वकील वादी उपस्थित, पत्रावली मे फर्द बटवारा रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट पर अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई, अधिवक्ता वादी द्वारा प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट को सही होना स्वीकार करते हुए, दावा अंतिम डिक्री किया जावे का निवेदन किया है। अतः वाद [illegible] के मुताबिक फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है। दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर डिक्री तैयार का आदेश की गई। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नकल से चक हो। सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं (चित्तौड़गढ़)	

Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 74/2018

1. चुन्नीलाल पिता भुरा जी जाति धाकड निवासी बामनहेडा तह0 बेगूँ
2. कंचन बाई पिता भुरा जी जाति धाकड निवासी बामनहेडा तह0 बेगूँ
3. श्रीमति बरदी बाई पिता भुरा जी जाति धाकड निवासी बामनहेडा तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1. लखमा पिता कालू जी जाति धाकड निवासी बामनहेडा तह0 बेगूँ
2. श्रीमति सुमित्रा देवी पत्नि नन्दकिशोर जी जाति धाकड निवासी बामनहेडा
3. लाभचन्द पिता लखमीचन्द जी जाति धाकड निवासी बामनहेडा तह0 बेगूँ
4. भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार सा: बेगूँ जिला चितौडगढ़
5. श्रीमान राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय, चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित : श्री एस.एन. माली
अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांक : 23.07.2019

निर्णय वाद अ.धा. 53–88 राजस्थान काश्त. अधि. 1955

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री एस.एन.माली द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि आराजी ग्राम बामनहेडा प.ह. गोविन्दपुरा तहसील, बेगूँ में स्थित है जिसकी तफसील निम्न प्रकार से है:

खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा हैक्टयर में
153 (नया) 135(पुराना)	49	0.2590
	53	0.3890
	380	0.3080
	443	0.0810
	450	0.1050
	451	0.0320
	461	0.2350
	681	0.6390
	682	0.7120
	691	0.1620
	किता– 10	2.9220 हैक्टर

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चितौडगढ़)

Scanned by CamScanner

154(नया)	62	0.1050
	102	0.0320
	857/387	0.1010
	449	0.0490
	किता–4	0.2870 हैक्टयर

वर्णित कृषि आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण के सामलाती खातेदारी में दर्ज होने के कारण वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के मध्य सीमा विवाद बना रहता है इसलिये वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 को इस कृषि आराजीयात का तहसील कार्यालय में चलकर विभाजन कराने को दिनांक 22.06.2018 को कहा तो प्रतिवादीगण ने तहसील में चलकर बंटवारा कराने से इन्कार कर दिया इसलिये वादी को यह वादपत्र अपने खाते की भूमिका विभाजन कराने हेतु प्रस्तुत करने की आवश्यकता पडी है।

अतः वाद पत्र की चरण सं. 1 में अंकित कृषि आराजीयात में से खाता 153(नया), 135(पुराना) के आराजी नं. 681, 682 में वादीगण का 1/3 – 1/3 व प्रतिवादी सं. 1 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का 1/3 – 1/3 हक हिस्सा शेष आराजी नं. 49, 53, 380, 443, 450, 451, 461, 691 में वादीगण व प्रतिवादीसं. 1 का 1/2–1/2 हक हिस्सा व खाता सं. 154(नया) के आराजी नं. 62, 102, 857/387, 449 में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 का 1/2–1/2 हक हिस्सा जमाबंदी अनुसार हिस्सा मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर व कजेअनुसार विभाजन किया जाकर रेवेन्यु रिकोर्ड में भी अलग अलग दर्ज किये जाने की घोषणात्मक अज्ञप्ति प्रदान कराई जावें।

दावा न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, पत्रावली में राजस्व लोक अदालत कैम्प ढुकराई पर दिनांक 26.06.2018 को रखाया गया, कैम्प में उपस्थित वादी एवं प्रतिवादी को सुना जाकर वादीगण का वाद पत्र निम्न प्रकार से प्राथमिक डिक्री किया जाने का आदेश दिया गया :

" अतःवाद वादी 53 आर.टी.एक्ट का स्वीकार कियाजाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा बामनहेडा प.ह. गोविन्दपुरा तह. बेगूँ की आराजी नम्बर 681, 682 में वादीगण का 1/3, प्रतिवादी सं. 1का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 3 का 1/3–1/3 हिस्सा व शेष आराजी नम्बर 49, 53, 380, 443, 450, 451, 461, 691 में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 का 1/2–1/2 हक हिस्सानुसार व मौजा बामनहेडा की आराजी नम्बर 62, 102, 857/387, 449 में वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 का 1/2–1/2 हक हिस्सा जमाबंदी अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड्स अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी के आधारपर विभाजन किया जाकर रेवेन्यु

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

रिकोर्ड में भी अलग अलग किये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्रदान की जाती है व इस अनुसार तहसीलदार, बेगूँ को 1000/– रूपये की कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर फर्द बंटवारा रिपोर्ट तैयार करने हेतु लिखा जावें"।

उपरोक्त आदेश की पालना में तहसीलदार बेगूँ को प्राथमिक डिक्री की प्रति राजस्व लोक अदालत में दी जाकर फर्द बंटवारा रिपोर्ट की पालना चाही गई जिसकी पालना में तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्रांक 633 दिनांक 25.06.2019 के साथ फर्द बंटवारा रिपोर्ट मय नक्शाट्रेस के साथ पत्रावली में प्रस्तुत किया , प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट पर अधिवक्ता वादीगण की बहस को सुना गया जिन्होने बंटवारा रिपोर्ट अनुसार वादीगण का वाद पत्र अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया है।

अतः वाद वादीगण का अ.धा. 53–88 आर.टी.एक्ट का मुताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा बामनहेडा प.ह. गोविन्दपुरा की आराजीयात का बंटवारा वादीगण एव प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाकर आराजी को राज़स्व रिकोर्ड में पृथक पृथक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है:–

1. वादीगण श्री चुन्नीलाल, कंचनबाई पिता भूरा श्रीमति बरदीबाई प.स्व. श्री भूरा धाकड सा.देह खातेदार के खाते :

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टयर में	लगान
53	0.389	0.96
62	0.105	0.26
380	0.308	5.71
443	0.081	1.50
449	0.049	0.12
450	0.105	1.95
451	0.032	0.08
461	0.235	6.53
691 मे से	0.081	0.50
857/387	0.101	1.87
किता– 10	1.486 हैक्टयर	19.48

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

2. प्रतिवादी श्री लखमा पिता कालु धाकड सा.देह खातेदार के खाते में :

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टयर में	लगान
49	0.259	0.64
681	0.639	3.95
682 मे से	0.262	1.62
691 मे से	0.081	0.50
किता– 4	1.241 हैक्टयर	6.71

3. श्रीमति सुमित्राबाई पति नन्दकिशोर श्री लाभचन्द्र पिता लखमीचन्द्र जाति धाकड सा. देह खातेदार के खाते में :

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टयर में	लगान
682 मे से	0.450	2.78
किता– 1	0.450 हैक्टयर	2.78

4. श्री लखमा पिता कालू 1/2, चुन्नीलाल, कंचनबाई पिता भूरा श्रीमति बरदीबाई पति स्व. भूरा 1/2 जाति धाकड सा.देह खातेदार के खाते

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टयर में	लगान
102	0.032 बाडा	—
किता– 1	0.032 हैक्टयर	

उपरोक्तानुसार खाता वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खाते में राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 23.07.2019 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

23/7/19

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या : 74/2018

1. चुन्नीलाल पिता भुरा जी जाति धाकड निवासी बामनहेडा तह0 बेगूं
2. कंचन बाई पिता भुरा जी जाति धाकड निवासी बामनहेडा तह0 बेगूं
3. श्रीमति बरदी बाई पिता भुरा जी जाति धाकड निवासी बामनहेडा तह0 बेगूं

वादीगण

बनाम

1. लखमा पिता कालू जी जाति धाकड निवासी बामनहेडा तह0 बेगूं
2. श्रीमति सुमित्रा देवी पत्नि नन्दकिशोर जी जाति धाकड निवासी बामनहेडा
3. लाभचन्द पिता लखमीचन्द जी जाति धाकड निवासी बामनहेडा तह0 बेगूं
4. भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार सा: बेगूं जिला चितौडगढ़
5. श्रीमान राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय, चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

अतः वाद वादीगण का अ.धा. 53–88 आर.टी.एक्ट का मुताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा बामनहेडा प.ह. गोविन्दपुरा की आराजीयात का बंटवारा वादीगण एव प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाकर आराजी को राजस्व रिकोर्ड में पृथक पृथक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है:–

1. वादीगण श्री चुन्नीलाल, कंचनबाई पिता भूरा श्रीमति बरदीबाई प.स्व. श्री भूरा धाकड सा.देह खातेदार के खाते :

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टयर में	लगान
53	0.389	0.96
62	0.105	0.26
380	0.308	5.71
443	0.081	1.50
449	0.049	0.12
450	0.105	1.95
451	0.032	0.08
461	0.235	6.53
691 मे से	0.081	0.50
857/387	0.101	1.87
किता– 10	1.486 हैक्टयर	19.48

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं (चित्तौडगढ़)

Scanned by CamScanner

2. प्रतिवादी श्री लखमा पिता कालू धाकड सा.देह खातेदार के खाते में :

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टयर में	लगान
49	0.259	0.64
681	0.639	3.95
682 मे से	0.262	1.62
691 मे से	0.081	0.50
किता– 4	1.241 हैक्टयर	6.71

3. श्रीमति सुमित्राबाई पति नन्दकिशोर श्री लाभचन्द्र पिता लखमीचन्द्र जाति धाकड सा. देह खातेदार के खाते में :

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टयर में	लगान
682 मे से	0.450	2.78
किता– 1	0.450 हैक्टयर	2.78

4. श्री लखमा पिता कालू 1/2, चुन्नीलाल, कंचनबाई पिता भूरा श्रीमति बरदीबाई पति स्व. भूरा 1/2 जाति धाकड सा.देह खातेदार के खाते

आराजी नम्बर	रकबा हैक्टयर में	लगान
102	0.032 बाडा	––
किता– 1	0.032 हैक्टयर	

उपरोक्तानुसार खाता वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खाते में राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अंतिम डिक्री आज दिनांक 23.07.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई ।

23/7/18

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं जिला चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगूं को डिक्री की पालना हेतु दी जाती है।

Scanned by CamScanner